उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-63/2016/159मु0मं0/37-1-2016-2(3)/2013

लखनऊ, दिनॉक 28 अक्टूबर, 2016

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-1658/37-1-2016-2(3)/2013, दिनॉक 17 जून, 2016 द्वारा चौधरी साहब सिंह पुत्र स्व0 सूरत सिंह, निवासी ग्राम बाघू संतोपुर, पोस्ट खास, तहसील व जिला बागपत को एक वर्ष के लिये पशुधन विभाग में सलाहकार नामित किया गया था।

2- उक्त कार्यालय आदेश दिनॉक 17 जून, 2016 को एतदद्वारा निरस्त करते हुए चौधरी साहब सिंह के स्थान पर हाजी मोहम्मद अनवर खान, निवासी पठान हाउस, नाजिरपुरा, जनपद बहराइच को एक वर्ष के लिये पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश का सलाहकार नामित किया जाता है।

राहुल सिंह,
विशेष सचिव

संख्या-63/2016/159मु0मं0(1)/37-1-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- हाजी मोहम्मद अनवर खान, निवासी पठान हाउस, नाजिरपुरा, जनपद बहराइच।
2- चौधरी साहब सिंह पुत्र स्व0 सूरत सिंह, निवासी ग्राम बाघू संतोपुर, पोस्ट खास, तहसील व जिला बागपत।
3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6- विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
10- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12- गोपन अनुभाग-1
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in